न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/326

1. इन्द्राज पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम बयावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर। (राज.)
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम बयावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. तहसीलदार, विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 27.05.22 बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 111/2021, जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में अवैध एवं क्षेत्राधिकार—विहिन रूप से बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही भूमि को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, बाबत कृषि भूमि खसरा नंबर 765 स्थित ग्राम बयावास, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

उपस्थित—

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —19.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 27.05.2022 के खिलाफ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के साथ दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम बयाबास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नम्बर 766/076, 259/0.31, 255/0.20, 253/0.05, 243/0.41, 242/0.41, 242/0.15, 765/0.55 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076—2079 है। आराजी मुतनाजा 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप—6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प.3(2) राज—6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू—राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार बीचली गुनी वाले रोड से बीलवाडी सीमा तक आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप—6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प 3(2) राज—6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश के प्रस्ताव भिजवाने पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया गया है कि ग्राम बयावास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से

संभागीय आयुक्त जयपुर

0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम करने तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.05.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट इन्द्राज पुत्र रामसहाय वगै द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 27.05.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आज्ञा जैर अपील पूर्णतया विधि विधान पत्रावली एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण पूर्णतया क्षेत्राधिकार–विहीन एवं पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण–अपीलान्ट्स विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 765 रकबा 0.5500 ग्राम बयावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर का 3/5 भाग का काबिज रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार है तथा विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एस.डी.ओ. को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर अधिकार प्राप्त है, अन्यथा उपखण्ड अधिकारी पारित आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की और भी कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 765 स्थित बयावास तहसील विराटनगर का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उसका उक्त कृषि भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर के न्यायालय में एक नियमित राजस्व वाद बाबत धोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का लंबित चला रहा है तथा उक्त वाद में प्रार्थना पत्र टी.आई. संख्या 67/2022 एस.डी.ओ. विराटनगर द्वारा पारित आज्ञा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2022 अन्तर्गत धारा 212 में जारी की हुई है, जिसमें राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई, इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण अपीलान्ट्स की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज करने का कतई कोई अधिकार नहीं है, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है। प्रार्थीगण–अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो संयुक्त नोटिस दिनांक 24.03.2022 की पेशी पर उपस्थित होने का जारी किया गया था, वह नोटिस प्रार्थीगण–अपीलान्टस को आज दिन तक ही प्राप्त नहीं हुआ है तथा किसी अन्य व्यक्ति असंबद्ध पक्षकार के हस्ताक्षर कराके फर्जी तामील के आधार पर बिना अपीलान्ट्स की प्रोपर नोटिसस दिये ही एक पक्षीय रूप से जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को कतई नही थी। प्रार्थीगण–अपीलान्ट्स विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 स्थित ग्राम बयावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर का रिकार्डेड काबिज खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उसे गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के प्रकरण संख्या 111/21 में नोटिस भी जारी किये थे, किन्तु दिनांक 27.05.22 में प्रार्थीगण–अपीलान्टस विवादित भूमि खसरा नंबर 765 का 3/5

संभागीय आयुक्त जयपुर

हिस्से का खातेदार है तथा आज्ञा जैर अपील से उसके अधिकार प्रभावित होते है एवं अपीलान्टस एग्रीव्ड (व्यथित) पक्षकार है जिसे न्याय हित में अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना आवश्यकीय है। इसलिये प्रार्थी पूर्ण रूपेण प्रभावी पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त किये जाने के भी पूर्ण कानूनी हक अधिकारी है। इसलिये न्यायाहित में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत की इजाजत प्रदान की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम बयाबास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नम्बर 766/076, 259/0.31, 255/0.20, 253/0.05, 243/0.41, 242/0.41, 242/0.15, 765/0.55 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 है। आराजी मुतनाजा 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार बीचली गुनी वाले रोड से बीलवाडी सीमा तक आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प 3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश के प्रस्ताव भिजवाने पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया गया है कि ग्राम बयावास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम करने तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.05.2022 पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2022 उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थीगण पूर्ण रूपेण प्रभावी पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त किये जाने के भी पूर्ण कानूनी हक अधिकारी है। इस कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार विराटनगर, पटवारी पटवार मण्डल बीलवाडी तहसील विराटनगर, भू.अ.निरीक्षक बीलवाडी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीलवाडी की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल बीलवाडी के ग्राम बयावास तहसील विराटनगर में आराजी खसरा नम्बरान 766, 259, 255, 256, 243, 242, 765 का मौका सरपंच ग्राम पंचायत बीलवाडी की उपस्थिति में देखा गया गया मौके पर उक्त खसरा नम्बरान बीचली गुनी वाले रोड से बीलवाडी सीमा तक आने जाने का आम रास्ता सभी आम जन एवं कृषकों के द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में कच्चा रास्ता बना हुआ है। जो

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

सिवायचक/निजी खातेदारी भूमि में से चालू है। उक्त सावजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग आ रहा है, मौके पर चालू रास्ता की जांच की गई व रिकार्ड से मिलान किया गया। राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम बयाबास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नम्बर 766/076, 259/0.31, 255/0.20, 253/0.05, 243/0.41, 242/0.41, 242/0.15, 765/0.55 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 है। आराजी मुतनाजा 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार बीचली गुनी वाले रोड से बीलवाडी सीमा तक आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प 3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश के प्रस्ताव भिजवाने पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया गया है कि ग्राम बयावास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम करने तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.05.2022 पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) उचित एवं विधिसम्यक है, इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>अतः आदेश है कि:</u> अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) का निर्णय दिनांक 27.05.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर